माननीय न्यायमूर्ति मेहताब एस. गिल और के. कन्नन के समक्ष

रणबीर सिंह - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.डी नं. ***2006*** का ***8403***

***24*** दिसंबर ***2008***

भारत का संविधान, ***1950***-अनुच्छेद ***226***-अनिवार्य सेवानिवृत्ति- आपराधिक मामला एक प्रमुख कांस्टेबल के खिलाफ पंजीकृत- विभागीय कार्यवाही की शुरुआत-जांच अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को दोषमुक्त करना-प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करना-केवल आपराधिक मामले के लंबित होने की घटना, जो प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ-साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के लिए एकान्त आधार बनाती है। -आपराधिक मामले में दोषमुक्ति पर विचार न करना और विभागीय कार्यवाही में आरोपों से मुक्ति -अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द किया जाना -याचिका की अनुमति, सभी परिणामी लाभों के साथ याचिकाकर्ता को बहाल करने का आदेश दिया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के बाद दिया गया है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के विषय पर मूल फाइलों की जांच करने पर, हमने पाया कि दर्ज की गई प्रतिकूल प्रविष्टि ***1*** अप्रैल, ***2001*** से ***3*** दिसंबर, ***2001*** तक की अवधि के लिए है, जो एकमात्र पहलू है जो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए विचार करने के लिए गया है। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आपराधिक

मामले के परिणाम की गणना की गई है क्योंकि फ़ाइल में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का कोई संदर्भ नहीं है जो अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता है कि आपराधिक मामला दोषमुक्ति के साथ समाप्त हो गया था और विभागीय कार्यवाही शुरू हो गई थी। दोषमुक्त हिल्न. पूरी फ़ाइल केवल आपराधिक मामले के लंबित होने के तथ्य का संदर्भ देती है और जाहिर तौर पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए अधिकारियों के साथ इस पर विचार किया गया है।

*(*पैरा *13)*

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय यह जांचने के लिए बाध्य है कि आदेश पारित करते समय प्रासंगिक सामग्रियों को ध्यान में रखा गया है या नहीं। यह वास्तव में संदेहास्पद है कि क्या पुलिस अधीक्षक ने प्रतिकूल प्रविष्टियों पर ठीक से ध्यान दिया था, क्योंकि पुलिस महानिरीक्षक को लिखे गए उनके नोट में उनका उल्लेख *1* अप्रैल, *2004* से *3* दिसंबर, *2004* की अवधि के लिए किया गया था, जबकि वास्तव में यह *1* अप्रैल, *2001* से *3* दिसंबर, *2001* तक की अवधि प्रतिकूल प्रविष्टियों के लिए है। भले ही इसे केवल लिपिकीय त्रुटि माना जाए, फिर भी यह देखा जाएगा कि आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता के अंतिम बरी होने की सूचना उसके वरिष्ठ अधिकारी को बिल्कुल भी नहीं दी गई थी। यहां तक कि पुलिस महानिरीक्षक को भेजे गए नोट में इस तथ्य का भी उल्लेख नहीं है कि विभागीय जांच में उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आपराधिक मामले के लंबित होने की एकमात्र घटना ने प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ-साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति को प्रभावित करने वाले आदेश के लिए एक ही आधार बनाया था, हम पाते हैं कि आपराधिक मामले में बरी करने और दोषमुक्ति पर विचार न करना विभागीय कार्यवाही में आरोप अंतिम निर्णय को निष्प्रभावी कर देते हैं।

*(*पैरा *14)*

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. मलिक और अधिवक्ता परवीन कुमार रोहिला।

रणबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

हरीश राठी, सीनियर डीए जी, हरियाणा।

जे. के. कन्नन,

***I.*** जांच का दायरा:

***(1)*** हेड कांस्टेबल जो अपनी एसीआर में टिप्पणियों को हटाने के लिए लड़ रहा था, पहली लड़ाई हार गया जब उसके अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया और इससे पहले कि वह कोई कार्रवाई कर पाता, उसे इस आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के साथ दौरा किया गया कि उसकी सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं। जनहित में अब इसकी आवश्यकता नहीं है। रिट याचिका में पुलिस महानिरीक्षक के ***11*** जुलाई, ***2005*** के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था और ***4*** अप्रैल, ***2006*** को पारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को चुनौती दी गई थी।

***II***. एसीआर में सलाहकार प्रविष्टियों का विवरण:

***(2)*** याचिकाकर्ता ***28*** अप्रैल ***1978*** को एक कांस्टेबल के रूप में पुलिस विभाग में शामिल हुआ था और बाद में ***25*** दिसंबर ***1995*** को हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत हुआ। उनका सेवा रिकॉर्ड हमेशा बेदाग रहा है और उन्हें एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें ईमानदारी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, साथ ही उन्हें अच्छे नैतिक चरित्र के साथ विश्वसनीय माना गया है। एसीआर प्रविष्टियों में तब गिरावट आई जब उनके साथ एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ चांदनी बाग थाने में एफआईआर संख्या ***289***, दिनांक ***17*** सितंबर, ***2001*** में भारतीय दंड संहिता की धारा ***170/323/342/384/419/420/452/506*** के साथ धारा ***120***-बी के तहत कथित अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। इस पुलिस शिकायत का ***1*** अप्रैल, ***2001*** से ***3*** नवंबर, ***2001*** की अवधि के बीच पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों और एसीआर में सीधा प्रभाव पड़ा। निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की गईं

- अनुशासन - ख़राब
- सत्यनिष्ठा - संदिग्ध
- विश्वसनीयता- विश्वसनीय नहीं
- आचरण - मानक के अनुरूप नहीं
- विशेष टिप्पणी- धारा ***419/420 342/452/170/384/323 506/120***-बी भारतीय दंड संहिता के तहत मामला (एफआईआर संख्या ***289,*** दिनांक ***17*** सितंबर, ***2001)*** चांदनी बाग, पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

***III.*** याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार करना और परिणामतः अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई :

***(3)*** याचिकाकर्ता ने प्रतिकूल प्रविष्टि के खिलाफ यह कहते हुए अभ्यावेदन दिया था कि आपराधिक मामला सही नहीं था और यह उसके खिलाफ लगाया गया था। इसके साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई और ***10*** जून, ***2003*** को जांच अधिकारी की रिपोर्ट स्वीकार किए जाने पर उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रतिनिधित्व को ***3*** मार्च, ***2005*** को महानिरीक्षक पुलिस, रोहतक रेंज द्वारा खारिज कर दिया गया था और पुलिस महानिदेशक के समक्ष आगे की अपील पर भी अनुकूल आदेश नहीं मिले, जब इसे ***11*** जुलाई, ***2005*** को पारित किया गया।

***(4)*** इसके तुरंत बाद, पुलिस महानिदेशक ने ***27*** सितंबर, ***2005*** को याचिकाकर्ता को सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए कारण बताओ नोटिस दिया था (अनुलग्नक पी***6)*** और याचिकाकर्ता ने इस पर अपनी आपत्तियां रखी थीं। कारण बताओ नोटिस के साथ, प्रतिकूल प्रविष्टियों को स्थापित करने के बाद एसीआर में पाई गई प्रतिकूल प्रविष्टियों की नकल करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए आधार/सामग्री निर्धारित की गई थी। संचार में कहा गया है "एचसी रणबीर सिंह के सेवा रिकॉर्ड के उपरोक्त बायोडाटा के मद्देनजर , संख्या ***813/***पीपीटी, उन्होंने पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी उपयोगिता समाप्त कर ली है और आगे सेवा में बने रहने के लिए

उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, पीपीआर ***9.18(2)*** के तहत सार्वजनिक हित में उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

***IV.*** कारण बताओ नोटिस के बाद दोषमुक्ति :

***(5)*** उसके तुरंत बाद, आपराधिक न्यायालय ने ***1*** अक्टूबर, ***2005*** को उसे बरी करने का फैसला सुनाया था। याचिकाकर्ता ने अपना अभ्यावेदन दिया था जिसमें बताया गया था कि वह सामग्री जिस पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था वह मामला बरी होने के साथ समाप्त हो गया था और उनके खिलाफ आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का निर्णय अब इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया जाएगा कि उन्हें बरी कर दिया गया है। हालाँकि, पुलिस महानिदेशक ने ***14*** अप्रैल, ***2006*** को एक आदेश पारित कर उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया और उक्त आदेश में ही, उन्होंने ***1*** अप्रैल, ***2001*** से ***3*** नवंबर, ***2001*** के बीच की अवधि के लिए एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि का उल्लेख किया था। और यह निर्णय याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए जवाब पर विचार करने के बाद लिया गया था। आदेश में यह भी कहा गया था कि उसने अपने ज्ञापन संख्या ***5/28/2006-3***एचजी***1***, दिनांक ***22*** फरवरी, ***2006*** में राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त कर ली है।

***V.*** राज्य का औचित्य :

***(6)*** याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टियों को हटाने और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने के संबंध में दी गई चुनौतियों पर, राज्य सरकार की प्रतिक्रिया अनुमानित है:—***(i)*** उस समय जब एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टियों को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया था , आपराधिक मामला अभी भी लंबित था और उनके अभ्यावेदन की अस्वीकृति अंतिम हो गई है। निर्णय सभी प्रासंगिक तथ्यों पर वस्तुनिष्ठ विचार करके लिए गए हैं और इसलिए, यह न्यायसंगत नहीं था***; (ii)*** अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश कोई सजा नहीं है और याचिकाकर्ता के पास इस फैसले पर आपत्ति करने का कोई आधार नहीं होगा और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद ***226*** के तहत हस्तक्षेप का कोई वारंट नहीं है।

***VI.*** अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए प्रासंगिक प्रावधान***:***

*(7)* यह सर्वविदित प्रस्ताव है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति स्वयं कोई सजा नहीं है और न्यायालयों में अभिनिर्धारित है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की भी गुंजाइश नहीं है। (संदर्भ बैकुंठनाथ दास बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी *(1)*। पंजाब पुलिस नियम, *1934* में हरियाणा में संशोधन के साथ अनुच्छेद *16* में सजा के विभिन्न रूपों का विवरण दिया गया है और अनिवार्य सेवानिवृत्ति को सजा के रूप में जगह नहीं मिलती है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान पीपीआर के नियम *9.18* के तहत "सेवानिवृत्त पेंशन" शीर्षक के तहत संदर्भ प्राप्त करता है। उक्त नियम का उप-खंड *(2)* इस प्रकार है-

"पुलिस महानिरीक्षक राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, आईपीएस या पंजाब राज्य पुलिस सेवाओं से संबंधित किसी भी पुलिस अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर सकते हैं, जिन्होंने बिना कोई कारण बताए *10* साल की अर्हक सेवा पूरी कर ली है। कोई भी अधिकारी जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होता है , अपनी सेवानिवृत्ति के लिए किसी विशेष मुआवजे का दावा करने का हकदार नहीं होगा।"

नोट *I.*-अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के अधिकार का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी अधिकारी को आगे की सेवाओं से मुक्त करना सार्वजनिक हित में न हो, जैसे कि अक्षमता, बेईमानी, भ्रष्टाचार या कुख्यात आचरण के कारण। इस प्रकार नियम उपयोग के लिए अभिप्रेत है-

*(i)* ऐसे अधिकारी के विरुद्ध जिसकी दक्षता ख़राब है लेकिन जिसके विरुद्ध अक्षमता का औपचारिक आरोप लगाना वांछनीय नहीं है या जिसने पूरी तरह से कुशल होना बंद कर दिया है (अर्थात जब किसी अधिकारी का मूल्य स्पष्ट रूप से उस वेतन के अनुरूप नहीं है जो वह लेता है) लेकिन इस हद तक नहीं कि अनुकंपा भत्ते पर उनकी सेवानिवृत्ति की आवश्यकता हो। इस नियम के प्रावधानों को वित्तीय हथियार के रूप में उपयोग करने का इरादा नहीं है, यानी, प्रावधान का उपयोग केवल उस अधिकारी के मामले में किया जाना चाहिए जिसे वित्तीय आधार के विपरीत व्यक्तिगत रूप से बनाए रखने के लिए अयोग्य माना जाता है; ऐसे मामलों में जहां

भ्रष्टाचार, बेईमानी या पक्ष में आचरण की प्रतिष्ठा स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाती है, भले ही कोई विशिष्ट उदाहरण साबित होने की संभावना न हो।

नोट *2.*-अधिकारी को प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कोई भी अभ्यावेदन देने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा जो वह देना चाहता है और ऐसे अभ्यावेदन पर उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश देने से पहले विचार किया जाएगा। नामांकित पुलिस अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सभी मामलों में, पुलिस महानिरीक्षक इस विषय पर समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुसार राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ ऐसी सेवानिवृत्ति करेंगे। "

***VII.*** अनिवार्य सेवानिवृत्ति-प्रक्रियात्मक आवश्यकता

***(8)*** इसलिए, कानून की आवश्यकता यह है कि अधिकारी को प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कोई भी प्रतिनिधित्व करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा और अंतिम निर्णय देने से पहले इस तरह के प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाएगा। . इस प्रावधान पर भरोसा करते हुए, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि प्रतिनिधित्व पर ध्यान दिया गया था और अंतिम निर्णय दिया गया था। न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से कानून जो एकमात्र राहत स्वीकार करता है, वह यह मुद्दा था कि क्या प्रासंगिक कारकों पर विधिवत विचार करने के बाद निर्णय लिया गया था और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश में हस्तक्षेप केवल न्यायालय की संतुष्टि पर ही हो सकता है कि पारित आदेश दुर्भावनापूर्ण है या यह बिना किसी सबूत पर आधारित है या यह इस अर्थ में मनमाना है कि कोई भी व्यक्ति उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा जो प्राधिकारी ने लिया था (एएसआई दिलबाग सिंह उर्फ राय बनाम हरियाणा राज्य (*2* के मामले में)। अनिवार्य सेवानिवृत्ति इस प्रकार है, इसका सहारा तब लिया जाता है जब किसी कर्मचारी के साथ मृत लकड़ी जैसा व्यवहार किया जाता है और नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन वह इस तथ्य के कारण अस्थायी लाभों

का अधिकार खोने का हकदार नहीं है कि यह कोई सजा नहीं है, हालांकि, किसी कर्मचारी की समय से पहले सेवा समाप्त करना है। लेकिन यह आवश्यक है कि निर्णय कभी भी मनमाना न हो बल्कि प्रासंगिक सामग्रियों पर आधारित हो।

***VIII***. आपराधिक मामले का लंबित होना- निर्णय के लिए एकमात्र सामग्री

***(9)*** सार्वजनिक हित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति और बिश्वनाथ प्रसाद बनाम बिहार राज्य (***3)*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सजा के माध्यम से अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बीच हमेशा अंतर होता है। प्रतिकूल प्रविष्टियों के खिलाफ अभ्यावेदन के साथ-साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति के खिलाफ कारण बताओ नोटिस की अस्वीकृति केवल आपराधिक मामले के लंबित होने के तथ्य को संदर्भित करती है जो इसके आवश्यक निहितार्थ से पता चलता है कि यह वह मामला है जिसे कर्मचारी की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए एक सामग्री के रूप में लिया जाता है और उसके आचरण के मूल्यांकन करने का आधार है । यह कहीं भी नहीं देखा गया है कि इसे कभी भी एसपी या पुलिस महानिदेशक के उच्चतर प्राधिकारी के पुलिस महानिरीक्षक के ध्यान में लाया गया था कि वे याचिकाकर्ता के आपराधिक मामले से बरी होने के तथ्य से अवगत थे और तथ्य यह है कि विभाग की जांच में भी उसे दोषमुक्त कर दिया गया था।

***(10)*** याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह बताया गया कि एक और व्यक्ति जिसे उसी अपराध में फंसाया गया था। मामले में प्रतिकूल प्रविष्टि भी प्राप्त हुई थी। लेकिन जब वह बरी हो गया, तो प्रतिकूल प्रविष्टि हटा दी गई थी लेकिन याचिकाकर्ता के लिए ऐसा नहीं किया गया था क्योंकि जिस समय प्रतिनिधित्व का निपटारा किया गया था, उस समय आपराधिक मामले का परिणाम नहीं आया था। यह मुद्दा किसी अन्य कर्मचारी के लिए समान प्रविष्टि के लिए प्रासंगिकता से रहित नहीं है, जिसे प्रतिकूल टिप्पणियों के साथ इसी तरह दर्ज किया गया था, जब आपराधिक मामला

बरी होने पर समाप्त हुआ तो टिप्पणियों का निष्कासन हुआ। यह विश्वास करना संभव नहीं है कि कोई अन्य सामग्री उपलब्ध थी या अकेले याचिकाकर्ता के लिए एक अलग मानदंड लागू करने के लिए सरकार के पास कोई अन्य विचार था।

***IX***. मूल अभिलेखों की जांच की गई

***(***11***)*** हमने अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित विषयों पर याचिकाकर्ता से संबंधित संपूर्ण मूल फ़ाइल और ***17*** जनवरी, ***1991*** से लेकर उसके अनिवार्य सेवानिवृत्त होने की तारीख तक की अवधि में दर्ज की गई एसीआर मंगवाई थी। हमने पाया कि याचिकाकर्ता को लगातार या तो अच्छा या बहुत अच्छा दर्ज किया गया था और ***1*** अप्रैल, ***1991*** से [1]***3*** नवंबर, ***2001*** की अवधि के लिए एकमात्र अवसर पर, उसके अनुशासन को खराब बताया गया है । सत्यनिष्ठा-संदिग्ध ***;***

विश्वसनीयताविश्वसनीय नहीं ***;***

नैतिकता-खराब, ख़राब नैतिक चरित्र***;***

सामान्य टिप्पणियाँ- भारतीय दंड संहिता की धारा ***120***-बी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा ***170/323/342/384/419/420/452/506*** के तहत दर्ज एफआईआर संख्या ***289***, दिनांक ***17*** सितंबर, ***2001*** .

***(12)*** अभिलेखों से यह देखना संभव नहीं है कि समीक्षा अधिकारी के पास आपराधिक मामले में उसकी संलिप्तता के तथ्य के अलावा प्रतिकूल प्रविष्टियाँ करने का कोई अन्य उद्देश्य मानदंड था। प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ दिए गए अभ्यावेदन को ***3*** मई, ***2005*** को महानिरीक्षक द्वारा इस गुप्त टिप्पणी के साथ निपटा दिया गया कि अभ्यावेदन पर

---

1(1) 1992 (2) एस.सी.सी. 92

(2) 1999 (2) एससीटी 56 (पी एंड एच)

(3) 2001 (2) एस.सी.सी. 305

(4) (1999) एससीसी 529

(5) 1995 (4) आर.एस.जे. 1

(6) 1995 (4) एस.सी.टी. 302

विधिवत विचार किया गया था और उसे योग्यता के बिना खारिज कर दिया गया था। आपराधिक मामले का परिणाम उस समय उपलब्ध नहीं था जब यह विषय पुलिस महानिरीक्षक द्वारा उठाया गया था और जिसके कारण उनके प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया गया था। वकील हमें प्रासंगिक निर्देशों का भी हवाला देता है जिसमें प्रतिकूल प्रविष्टियाँ किए जाने पर दर्ज किए जाने वाले कारणों का विवरण दिया गया है। उनका कहना है कि एसीआर में किसी आपराधिक मामले के लंबित होने के संदर्भ के अलावा प्रतिकूल प्रविष्टियों के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है। उनका तर्क था कि समीक्षा अधिकारी के पास प्रतिकूल प्रविष्टि करने के लिए आपराधिक मामले की लंबितता के अलावा कोई अन्य सामग्री नहीं थी और जब आपराधिक मामला दोषमुक्ति में समाप्त हो गया, तो प्रविष्टि को भी समाप्त करना आवश्यक था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आपराधिक अदालत के फैसले के अलावा, याचिकाकर्ता के खिलाफ जो विभागीय कार्यवाही की गई थी, उसने उसे बरी कर दिया था और एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि को बनाए रखना सबसे अन्यायपूर्ण था।

***(13)*** एक सामान्य स्थिति में, हम केवल प्रतिकूल को हटाने के उसके दावे को खारिज करने वाले आक्षेपित आदेशों को रद्द कर देते। टिप्पणी की और आपराधिक मामले में बरी होने और विभागीय कार्यवाही में आरोपों से मुक्ति के आलोक में मुद्दों पर पुनर्विचार के लिए मामले को प्रतिवादियों के पास वापस भेज दिया। हालाँकि, यह अभ्यास ऐसी स्थिति में नहीं किया जा सकता है जहाँ प्रतिकूल प्रविष्टि को ही इस मामले पर विचार करने का आधार माना गया है कि ***25*** वर्ष की सेवा पूरी करने पर उन्हें विभाग में बनाए रखा जाना चाहिए या नहीं। ऐसी कवायद की गई थी और याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश दिया गया था। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के बाद दिया गया है। अनिवार्य

सेवानिवृत्ति के विषय पर मूल फाइलों की जांच करने पर, हमने पाया कि दर्ज की गई प्रतिकूल प्रविष्टि ***1*** अप्रैल, ***2001*** से ***3*** दिसंबर, ***2001*** तक की अवधि के लिए है, जो एकमात्र पहलू है जो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए विचार करने के लिए गया है। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आपराधिक मामले के परिणाम की गणना की गई है क्योंकि फ़ाइल में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का कोई संदर्भ नहीं है जो अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता है कि आपराधिक मामला बरी होने और विभागीय कार्यवाही के साथ समाप्त हो गया था। उसे दोषमुक्त कर दिया था. पूरी फ़ाइल केवल आपराधिक मामले के लंबित होने के तथ्य का संदर्भ देती है और जाहिर तौर पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए अधिकारियों के साथ इस पर विचार किया गया है।

***X.*** प्रासंगिक सामग्री पर विचार न करने से निर्णय ख़राब हो जाता है

***(14)*** राज्य सरकार की ओर से तर्क यह है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति कोई सज़ा नहीं है और यह एक ऐसा मामला है जिसके द्वारा प्रतिष्ठान बेकार की भावना से छुटकारा पा सकता है और अनिवार्य सेवानिवृत्ति को किसी भी तरह का कलंक लगाने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने इस तर्क का जवाब देते हुए कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति वास्तव में सजा का एक रूप है यदि यह किसी आपराधिक मामले के लंबित होने के आधार पर दी गई है। अदालत यह जांचने के लिए बाध्य है कि आदेश पारित करते समय प्रासंगिक सामग्रियों को ध्यान में रखा गया है या नहीं। हमने पहले ही इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के विषय के रूप में लिया गया एकमात्र प्रासंगिक विचार आपराधिक मामले की लंबितता और आपराधिक अदालत द्वारा बरी होना और फ़ाइल में भी विभागीय कार्यवाही में याचिकाकर्ता की अंतिम रिहाई नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात राज्य बनाम सूर्यकांत चुन्नीलाल शाह, ***(4)*** मामले में कहा कि आपराधिक मामलों

का लंबित होना किसी व्यक्ति की ईमानदारी पर संदेह करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह आपराधिक मामले की प्रकृति पर निर्भर करता था। इसने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निर्णय में हस्तक्षेप किया, हालांकि, यह मानते हुए कि कर्मचारी को हटाने का एक अतिरिक्त उद्देश्य था। इस न्यायालय ने अमरीक सिंह बनाम हरियाणा राज्य (***5***) मामले में चेतावनी दी है कि रिपोर्टिंग या अन्य प्राधिकारी पर एक कठिन दायित्व है, जो किसी अधिकारी की ईमानदारी के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी करता है और उसे अतिरिक्त सतर्क, सावधान रहना होगा। सत्यनिष्ठा के संबंध में प्रतिकूल प्रविष्टि देना। यह वास्तव में संदेहास्पद है कि क्या पुलिस अधीक्षक ने प्रतिकूल प्रविष्टियों पर ठीक से ध्यान दिया था, क्योंकि पुलिस महानिरीक्षक को लिखे गए उनके नोट में उनका उल्लेख ***1*** अप्रैल, ***2004*** से ***3*** दिसंबर, ***2004*** की अवधि के लिए किया गया था, जबकि वास्तव में यह 1 अप्रैल, 2001 से 3 दिसंबर, 2001 तक उस अवधि के लिए है। भले ही इसे केवल लिपिकीय त्रुटि माना जाए, फिर भी यह देखा जाएगा कि आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता के अंतिम बरी होने की सूचना उसके वरिष्ठ अधिकारी को बिल्कुल भी नहीं दी गई थी। यहां तक कि पुलिस महानिरीक्षक को भेजे गए नोट में इस तथ्य का भी जिक्र नहीं है कि विभागीय जांच में उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आपराधिक मामले के लंबित होने की एकमात्र घटना ने प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ-साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति को प्रभावित करने वाले आदेश के लिए एक ही आधार बनाया था, हम पाते हैं कि आपराधिक मामले में दोषमुक्ति और दोषमुक्ति पर विचार न करना विभागीय कार्यवाही में आरोप अंतिम निर्णय को निष्प्रभावी कर देते हैं।

(15) जसपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (6) में इस न्यायालय के एक निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां समय से पहले सेवानिवृत्ति के निर्णय लेने से पहले न तो सेवा रिकॉर्ड पर विचार किया गया है और न ही उचित

रूप से पुनर्मूल्यांकन किया गया है, वहां निर्णय कानूनी रूप से नहीं लिया जा सकता है। टिकाऊ। उस मामले में, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के मामले से निपट रहा था, जिसने एएसआई और एसआई के पदों के लिए कई अच्छी रिपोर्ट, प्रशंसा और पदोन्नति अर्जित की थी, लेकिन उसे केवल संदिग्ध सत्यनिष्ठा की एक पुरानी प्रविष्टि के आधार पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था। न्यायालय ने तर्क दिया कि संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया और कार्यवाही रद्द कर दी गई। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने रणबीर सिंह, एएसआई बनाम हरियाणा राज्य मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच का भी हवाला दिया, जो 2007 के सीडब्ल्यूपी 867 दिनांक 29 मार्च, 1987 में दी गई थी, जिसमें सिविल कोर्ट ने सजा को रद्द कर दिया था, जो एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि कार्रवाई का एक नया कारण बनती है और दूसरे प्रतिनिधित्व में उस कार्रवाई के नए कारण पर विचार करने में विफलता प्रतिकूल प्रविष्टि को बनाए रखने के निर्णय को रद्द कर देती है। वर्तमान मामले में भी, हम याचिकाकर्ता के मामले की स्थिति से निपट रहे हैं, जो 28 अप्रैल, 1978 को सेवा में शामिल होने के बाद 1 अप्रैल, 1991 से 3 दिसंबर, 1991 तक की अवधि के बीच निंदा की एक घटना तथा 1 अप्रैल, 2001 से 3 नवंबर, 2001 तक की अवधि के बीच आपराधिक शिकायत की लंबितता के आधार पर प्रतिकूल प्रविष्टि को छोड़कर उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं थी। यह संभव है कि आपराधिक मामले में बरी होने और विभाग की कार्यवाही में आरोपों से मुक्ति का अंतिम निर्णय लेने के समय प्रासंगिक सामग्रियों के रूप में एक अलग प्रभाव रहा होगा। जब आक्षेपित आदेश पारित किए गए थे तब उसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखा गया था, हम याचिकाकर्ता के वकील के इस तर्क से सहमत हैं कि आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सकता है और अनिवार्य आदेश के साथ एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि की जा सकती है। एकल

आधार पर आपराधिक मामला लंबित होने के कारण सेवानिवृत्ति तक जाना पड़ता है।

***XI.*** अंतिम रुझान

(16) इन परिस्थितियों में, रिट याचिका सफल होने के लिए बाध्य है और एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टियों को समाप्त करने का निर्देश दिया जाता है। रिट याचिका में लगाए गए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को भी रद्द कर दिया गया है। याचिकाकर्ता सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाल होने का हकदार है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

स्मृति

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

कुरूक्षेत्र, हरियाणा